भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

*तारांकित प्रश्न संख्या \*6.*

*22.11.2011*  को उत्तर के लिए

**'वन्य जीव अभयारण्यों में जल की कमी'**

**\*6. डॉ. के.वी.पी. रामचन्द्र राव :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जल की अत्यधिक कमी होने के कारण देश में वन्य जीव अभयारण्यों में वन्य पशुओं और पक्षियों के मरने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अभयारण्यों में इन पशुओं और पक्षियों की संरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क), (ख) और (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

\*\*\*\*

**'वन्य जीव अभयारण्यों में जल की कमी' के बारे में 22.11.2011 के लिए डॉ. के.वी.पी. रामचन्द्र राव द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*6. के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख) देश के कुछ वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में जल की कमी से संबंधित कुछ रिपोर्टें मीडिया में आई हैं । तथापि, मंत्रालय को जल की कमी के कारण देश के किसी भी वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव-जन्तुओं और पक्षियों के मारे जाने की ऐसी कोई रिपोर्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) वन्य जीव-जन्तुओं और पक्षियों के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) वन्य जीव (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अन्तर्गत वन्य जीवों और पौधों का संरक्षण किया जाता है ।

ii) संकटापन्न प्रजातियों और उनके पर्यावास सहित वन्य जीवों के विशेष रूप से संरक्षण और प्रबंधन हेतु वन्य जीवों और पौधों का वन्य जीव (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अन्तर्गत पूरे देश में वन्य जीवों के महत्वपूर्ण पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और समुदाय रिजर्वों का सृजन किया गया है ।

iii) वन्य जीवों और उनके पर्यावासों को बेहतर संरक्षण और प्रबंधन प्रदान करने हेतु विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास,' 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अन्तर्गत राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाती है । इस सहायता में वन क्षेत्रों के अन्दर रहने वाले वन्य जीवों के लिए भोजन, जल और आश्रय की उपलब्धता में गति प्रदान करने हेतु उपाय करने के लिए और साथ ही फील्ड स्टाफ के लिए संचार और परिवहन तथा क्षमता निर्माण सहित निगरानी कार्य, जनशक्ति, अवसंरचना सुधार में सहायता देते हुए बेहतर संरक्षण हेतु प्रावधान शामिल हैं । मानव-वन्यजीव भिड़ंत को कम करने और पारि-विकास तथा समुदायपरक कार्यकलापों हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

\*\*\*\*\*\*